राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम दुल्लापुर केरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

उनवान :– राजस्व वाद संख्या 71/2005

1. हेतराम पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी 12 एल.एल.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   - 1.1 कलावती पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी 12 एल.एल.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
   - 1.2 विजय कुमार
   - 1.3 वेदप्रकाश
   - 1.4 महेन्द्र कुमार
   - 1.5 रणवीर कुमार

   (1.2–1.5) पुत्रान हेतराम जाति जाट निवासी 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

A17

– – **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1. भागीरथ पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी 92 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   - 1.1 शान्ति पत्नि भागीरथ जाति जाट निवासी 92 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 1.2 जगदीश
   - 1.3 पृथ्वीराज
   - 1.4 सावित्रि देवी
   - 1.5 सलोचना देवी
   - 1.6 विमला देवी
   - 1.7 महेन्द्र देवी
   - 1.8 रानी देवी

   (1.2–1.8) पुत्र/पुत्रीयान भागीरथ जाति जाट निवासी 92 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. अमीचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सिहागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   - 2.1 सुखीदेवी पत्नी अमीचन्द जाति जाट निवासी सिहागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
   - 2.2 कलावती देवी
   - 2.3 सहदेव
   - 2.4 महावीर
   - 2.5 भूपेन्द्र
   - 2.6 राजेन्द्र
   - 2.7 सुरस्ती देवी

   (2.2–2.7) पुत्र/पुत्रीयान अमीचन्द जाति जाट निवासी सिहागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

3. हजारी राम पुत्र ख्याली राम जाति जाट निवासी सिहागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. उदयपाल दत्तक पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी सिहागावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री हरजीतसिंह जोली अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1.1 ता 1.8
3. प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 15.02.2006

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19/6/17

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि सन् 1971 में चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 39 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 में 8 बिस्वा किला नम्बर 2 सालम कुल 1.08 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम वल्द जालू राम कौम जाट साकिन 12 एल.एल.पी. अकेले के नाम से खातेदारी थी इसी चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 50 व 41 में मुरब्बा नम्बर 1 किला नम्बर 18, 19 सालम किला नम्बर 20 के 8 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 में 8 बिस्वा किला नम्बर 2 ता.9 की 8 बीघा, 10 की 8 बिस्वा, 11 की 8 बिस्वा, 12 ता 25 की 14 बीघा मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 1 व 10 की 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 ता 8 की 6 बीघा किला नम्बर 13 ता 18 की 6 बीघा किला नम्बर 23 ता 25 की 3 बीघा कुल 46 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम, मोमनराम व ख्यालीराम पिसरान जालूराम 1/2 हिस्सा उदयपालसिंह दत्तक पुत्र जीवनसिंह 1/2 हिस्सा जाति जाट साकिन 12 एल.एन.पी. के नाम से खातेदारी दर्ज कागजात माल थी इस प्रकार इन कुल खातों में हरीराम पुत्र जालूराम के कुल हिस्सा में 9.03 बीघा भूमि आती थी सन् 1971 के बाद सन् 1974 में अर्थात सम्वत् 2030 से 2033 में बनी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है चक 12 एल.एन.पी. की मौजूदा जमाबन्दी में खाता संख्या 43 खाता संख्या 50 वा खाता संख्या 40 बदलकर खाता संख्या 3 हो गया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है।

चक 12 एल.एन.पी. के उपरोक्त खाता संख्या 39, 40, 41 में से खाते के सहखातेदार मोमनराम वल्द जालूराम नें इस संयुक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 39 की किला नम्बर 3 ता 7 की 5.00 बीघा व किला नम्बर 14 के 7 बिस्वा कुल 5.07 बीघा भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.1971 वादी को विक्रय की जाकर कब्जा भूमि मौके पर वादी को दे दिया था इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी संयुक्त खाता में वादी के नाम से तस्दीक होकर जमाबन्दी में वादी का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज हो गया था।

चक 12 एल.एन.पी. के उपरोक्त खाता संख्या 39 ता 41 में से इस खाता के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम नें इस संयुक्त खाता में से मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 8 सालम वा किला नम्बर 14 के 11 बिस्वा कुल 1.11 बीघा बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1974 वादी को विक्रय कर कब्जा भूमि मौके पर वादी को दे दिया था और वादी इस दिनांक से इस क्रय की गई भूमि पर काबिज चला आ रहा है। और इस भूमि पर आज भी वादी का कब्जा है। इस क्रय के आधार पर वादी इस संयुक्त खाता में से 9.11 बीघा का खातेदार मजीद रूप से हो गया था विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1974 संलग्न वाद है। परन्तु इस विक्रय पत्र के आधार पर इस भूमि का नामान्तरकरण वादी के नाम से तस्दीक नहीं करवाया जा सका है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 39 ता 41 में से इस खाता के सहखातेदार अमीचन्द प्रतिवादी संख्या 2 नें इस संयुक्त खाता के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 14 की 2 बिस्वा भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1974 को वादी को विक्रय कर कब्जा भूमि मौके पर वादी को दे दिया था और वादी आज भी इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में इस संयुक्त खाते में संयुक्त इन्तकाल तस्दीक हो चुका है। और इसका अंकन जमाबन्दी में किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों विक्रय पत्रों के आधार पर वादी उक्त खाता संख्या 40, 41 में कुल 7 बीघा अर्थात 1.771 हैक्टर का खातेदार हो गया है और इन सात बीघों पर वादी काबिज चला आ रहा है। परन्तु वादी के नाम से इन्तकाल व जमाबन्दी में केवल 1.403 हैक्टर ही दर्ज किया गया है।

उपरोक्त खाता संख्या 39 की 1.08 बीघा व खाता संख्या 40 व 41 में 7 बीघा 14–2/3 बिस्वा इस प्रकार दोनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम के हिस्से में कुल 9 बीघा 2–2/3 बिस्वा भूमि आती है। खाता संख्या 40 व 41 के संयुक्त होनें व खाता संख्या 39 अकेले हरीराम के नाम होने पर काश्त की व घरू विभाजन की सहुलियत के लिहाज से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नें अपनें खाता संख्या 39 के मुरब्बा नम्बर 43 की 1.08 बीघा भूमि जो किला नम्बर 1 में 8 बीस्वा वा 2 सालम थी को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दे दी और इसके बदले में खाता संख्या 40 के मुरब्बा नम्बर 39 की भूमि ले ली थी और तबादला से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 8 सालम, 14 के 11 बिस्वा, 1 के 8 बिस्वा, 2 वा 9 सालम, 10 का 8 बिस्वा, 11 का 8 बिस्वा, 12, 13, 18, 19 की चार बीघा 20 की 8 बिस्वा, कुल 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि आ गई थी इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 में 8 बिस्वा व 2 सालम, भूमि का तबादला से आज भी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उपरोक्त चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 39, 40, 41 के रकबा में से इस खाता के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम नें वादी को दिनांक 07.06.1974 को बजरिये उपरोक्त विक्रय पत्र से अपनी 1.11 बीघा भूमि विक्रय करनें के बाद अपनी 7.12 बीघा भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1974 को ही विक्रय कर दी थी और इस विक्रय की गई भूमि में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 के 8 बिस्वा, 2 व 9 सालम, 10 का 8 बिस्वा, 11 का 8 बिस्वा, 12, 13, 18, 19 की 4 बीघा व 20 की 8 बिस्वा, कुल 7.12 बीघा भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता भूपसिंह को दे दिया था और इस भूमि का इन्तकाल भी क्रेता के नाम से गलत ढ़ग से अपनें नाम दर्ज कर अलग से जमाबन्दी में गलत ढ़ग से तैयार कर दी गई। वर्तमान में यह रकबा कागजात माल में क्रेता भूपसिंह के चचेरे भाई सुनील कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन 12 एल.एन.पी. के नाम दर्ज चला आ रहा है। भूपसिंह के हक में हुए विक्रय पत्र में भी इन उक्त तीनों खातो का विवरण है।

प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम द्वारा चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 40 के मुरब्बा नम्बर 39 के 1.11 बीघा भूमि वादी को विक्रय करनें के बाद इस खाता में उक्त हरीराम के हिस्सा में 7.12 बीघाा भूमि शेष नहीं रहती थी। और हरीराम 7.12 बिस्वा भूमि भूपसिंह को विक्रय नहीं कर सकता था और विक्रय निष्प्रभावी था परन्तु हरीराम के मुरब्बा नम्बर 43 के 1.08 बीघा भूमि हरीराम के खाता में शामिल करनें पर हरीराम के पास 7.12 बीघा भूमि बनती थी उक्त हरीराम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एक ही परिवार से सम्बंध रखते थे एवम् सगे भाई थे उक्त हरीराम द्वारा उपरोक्त भूपसिंह को 7.12 बीघा भूमि विक्रय करनें

A17/3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 4

से सपष्ट है, कि हरीराम नें अपनें मुरब्बा नम्बर 43 की 1.08 बीघा भूमि अमीचन्द व हजारीराम प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को देकर मुरब्बा नम्बर 39 में उनके हिस्से की भूमि लेकर इस मुरब्बा में अपना हिस्सा बढ़ा लिया था जो 9.03 बीघा कर लिया था और वादी को 1.11 बीघा भूमि विक्रय करने के बाद 7.12 बीघा भूमि उक्त भूपसिंह को विक्रय की थी इस आधार पर वादी इस मुरब्बा नम्बर 39 में मोमनराम से खरीद किये गये 5.07 बीघा हरीराम से खरीद किये गये 1.11 बीघा व अमीचन्द से खरीद किये गये 2 बिस्वा कुल 7.00 बीघा अर्थात 1.771 का खातेदार कृषक है। और कागजात माल में यह घोषणा करवानें का अधिकारी है। कि वादी इस चक 12 एल.एन.पी. के पुराना खाता संख्या 40 वा नया खाता संख्या 3 वर्ष सम्वत् 2059 में 7 बीघा का खातेदार कृषक है। जिसमें उपरोक्त वर्णित किलाजात है वा इस चक के खाता संख्या 50/39 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 का 8 बिस्वा, 2 सालम, कुल 1.08 बीघा के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 खातेदार है वादी इस हिसाब से राजस्व रिकार्ड में संशोधित करवानें का अधिकारी है।

चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या पुराना 40 व नया 3 के मुश्तर्का खाता संख्या व राजस्व रिकार्ड सही ना होनें से इस भूमि के काश्त करनें में काफी दिक्कते आती है व हर रोज विवाद खड़ा होता रहता है। ऐसी सूरत में वादी का इस खाता में अपनें अधिकारो की घोषणा के साथ साथ घोषणा के हिसाब से इस खाते का विभाजन व रेन्ट का वितरण करवानें का भी अधिकारी है।

चक 12 एल.एन.पी. के पुराना खाता संख्या 39 व नया खाता संख्या 50 में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम के नाम से चली आ रही है। हरीराम का देहान्त हो गया है। और प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरीराम का एक मात्र वारिस है। और हरीराम के नाम से इन्द्राज के चले आनें से प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियती घर कर गई है हरीराम व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी उपरोक्त कुल भूमि विक्रय करनें के बाद 92 जी.बी. तहसील अनुपगढ चले गये और वही आबाद है प्रतिवादी संख्या 1 अब इस इन्द्राज के कायम रहने से इस भूमि को इन्तकाल अपनें नाम करवाकर इस भूमि का विवाद उत्पन्न कर सकता है। और उससे वादी भी प्रभावित हो सकता है। ऐसी सूरत में वादी यह घोषणा करवाने का भी अधिकारी है, कि उक्त भूमि तबादला में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्राप्त हो चुकि है।

वादी नें प्रतिवादीगण से इस पुरानें खाता संख्या 39 व 40 वा नये खाता संख्या 50 व 3 में वादी के कुल अधिकार स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाकर इस खाता का आपस में विभाजन कर इसके रेन्ट का वितरण कर लेवें परन्तु प्रतिवादीगण नें वादी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और पुनः दिनांक 26.06.2005 को तकाजा करने पर ऐसा करनें से साफ इन्कार कर दिया। यहि वाद कारण है

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

(क) घोषित किया जावे कि चक 12 एल.एन.पी. के पुराना खाता संख्या 40 नया खाता संख्या 3 वर्ष सम्वत् 2059 में वादी 7.00 बीघा अर्थात 1.771 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक है। व वादी इसी चक के पुराना खाता सख्या 39 व नया खाता संख्या 50 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 की 8 बिस्वा अर्थात 0.101, किला नम्बर 2 सालम के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 खातेदार है।

(ख) उक्त घोषणा अनुसार पुरानें खाता संख्या 40 नया 3 जमाबन्दी सम्वत् 2059 का विभाजन किया जावे।

(ग) उपरोक्त घोषणा एवम् वादी के उपरोक्त 7 बीघा अर्थात 1.771 हैक्टर भूमि पर काबिज होनें से इस खाता के विभाजन में भी मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 ता 8 व 14 कुल 7.00 बीघा भूमि वादी को दिलाये जानें एवम् इसके रेन्ट का वितरण भी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(घ) घोषणा का विभाजन की डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जानें का आदेश प्रदान किया जावे।

(घ) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(ड) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में व न्याय संगत हो प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 39 मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 में 8 बिस्वा, 2 सालम, कुल 1.08 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होना स्वीकार है तथा इस मद में शेष कथन मनघड़त होनें के कारण स्वीकार नहीं है यह रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के द्वारा खुद अर्जित धन से खरीद किया हुआ है। इस मद में शेष हिस्सा में वर्णित विवरण गणितीय त्रुटियों से भरा हुआ है जिस कारण रकबा का आंकलन सही नहीं किया गया है।

तथ्यों के अनुसार यह खरीद व विक्रय का व्यवहार प्रतिवादी संख्या 1 या उसके पिता के बीच का नहीं है मोमनराम कौन व्यक्ति है तथा इससे वादी नें कोई भूमि खरीद की या नहीं और इसका इन्तकाल वादी के नाम हुआ या नहीं वादी से सम्बंधित विषय नहीं है। वादी के द्वारा मोमनराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये इन कथनों का यहां कोई महत्व नहीं है।

प्रतिवादी के पिता द्वारा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 8 सालम व किला नम्बर 14 के 11 बिस्वा भूमि कभी भी वादी को विक्रय नही की इसके अलावा इस भूमि का मुरब्बा नम्बर 43 के 1.08 बीघा से कोई सम्बंध नहीं है। मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 व 2 के कुल 1.08 बीघा भूमि वादी के पिता के द्वारा खुद अर्जित धन से खरीद की हुई है। इस भूमि का संयुक्त खाता की भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। इस भूमि पर प्रतिवादी के पिता काबिज रहे है। तथा खुद काश्त करते रहे है। उनके स्वर्गवास होने के बाद रकबा कम होनें के कारण यह रकबा प्रतिवादी के द्वारा वादी को हिस्सा ठेका पर कास्त करनें के लिये दिया जाता रहा है। जिस पर वादी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ षड़यन्त्र कर काबिज होकर बैठ गया है। तथा झूठे सच्चे कागज बनाकर इस रकबा को अपनें नाम से करवानें की फिराक में है इस रकबा पर वादी या प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई हक नहीं है।

अमीचन्द हजारीराम व वादी एक राय होकर इस वाद को प्रस्तुत करनें वाले है अमीचन्द के द्वारा कोई भूमि वादी को विक्रय करनें के तथ्य साक्ष्य से साबित करवाये जानें अपेक्षित है। साक्ष्य के अभाव में ऐसे कथन कतई स्वीकार नहीं है। वादी के द्वारा कौन सी भूमि कब खरीद की गई और विधिवत खरीद की या नहीं तथ्यों के अभाव में कोई कथन करना असम्भव है।

वादी तथा प्रतिवादी संख्सा 1 या प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बीच में इस आश्य का कोई तबादला नहीं हुआ है वादी का इस आश्य का साक्ष्य अपेक्षित है।

वादी स्वयं ही भूपसिंह के नाम भूमि का इन्तकाल गल्त होना कथन कर रहा है। तथा उसके बाद सुनील पुत्र इन्द्राज के नाम से भी इन्तकाल होना कथन कर रहा है। ऐसी किसी गल्ती की सजा प्रतिवादी को नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे वाद में भूपसिंह सुनील कुमार आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार न बनाया जानें के कारण वाद चलनें योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी नें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हितों के लिये दावा किया है जबकि इस प्रकार का अनुतोष केवल वाद के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार किसी अन्य के लिये वाद दायर कर किसी प्रतिवादी को कोई हक नहीं दिलाया जा सकता है। वादी का मकसद अदालत को धोखा में रखकर इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत करवाकर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ जानबुझकर नोटिस तामिल कार्यवाही में हस्तक्षेप कर वाद प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने के फिराक में है प्रतिवादी के द्वारा यहां अपनें रकबा के इन्तकाल व हक की घोषणा के लिये व भूमि का कब्जा दिलवाये जानें तक रिसीवर नियुक्त किये जानें पर इस वाद का राज वादी पर प्रकट किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 3 के बीच कभी किसी प्रकार से तबादलानामा नहीं हुआ है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार भूपसिंह व उसके चचरे भाई सुनील पुत्र इन्द्राज आदि को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि दावा में विवादित भूमि इनके कब्जा में होने का कथन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के खिलाफ वाद संख्या 140/05 प्रस्तुत किया हुआ है जिसके तथ्यों को यहां प्रतिदावा के रूप में कन्सीडर किया जावे। ताकि तथ्यों की पुनरावर्ति ना हो प्रतिवादी संख्या 1 के माता पिता का देहान्त हो गया है प्रतिवादी संख्या 1 अपनें पिता का अकेला ही वारिस होने से खाता संख्या 50/44 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 का 0.101 तथा किला नम्बर 2 का 0.253 हैक्टर भूमि का इन्तकाल अपनें पिता के स्थान पर अपनें नाम से करवानें तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें का अधिकारी है। वादी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ मिलकर मुरब्बा नम्बर 43 के 0.354 हैक्टर भूमि पर नाजायज काबिज होकर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या एक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के खिलाफ कब्जा प्राप्त करनें व मीन प्रोफिटस पिछले तीन साल से लगान के 15 गुणा के बराबर प्राप्त करनें व बेदखली का आदेश प्राप्त करनें का अधिकारी है।

अतः वाद वादी खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में आदेश व डिक्री जारी की जावे कि वर्तमान खाता संख्या 50/44 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1/.101, 2/.253 हैक्टर भूमि का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज किया जावे तथा कब्जा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 से दिलाया जावे व मीन प्रेफिटस लगान का 15 गुणा पिछले 3 वर्ष का व आयन्दा ता वसूली दिलाया जावें तथा खर्चा मुकद्मा वादी से दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण 2 व 3 द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी डिक्री किये जानें पर कोई आपत्ति जाहीर नहीं की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब पेश करनें पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 40/3 में 1.771 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक है। वा इसी चक के 39/50 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 में 0.08 अर्थात 0.101 हैक्टर व 2 सालम के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 खातेदार है अतः उक्त 1.771 हैक्टर भूमि पर काबिज होने से इस खाता के विभाजन में भी मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 ता 8 व 14 कुल 7.00 भूमि वादी को दिलाये जानें की डिक्री पारित की जावे। – – वादीगण
2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि में 1–08 बीघा प्रतिवादी के पिता की स्वयं अर्जित भूमि है पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नें मिलकर नाजायज काबिज होकर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहा है इस भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाया जावे। – – प्रतिवादी संख्या 1
3. अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 7

A/7

तनकी संख्या 1 को सिद्ध करनें का भार वादीगण पर था वादी द्वारा वाद को साबित करनें के लिये वादी संख्या 1.2 का शपथ पत्र बयान कराये गये वादी नें अपनें शपथ ब्यानों में अपनें द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी चक 12 एल.एन.पी. के खाता संख्या 40/3 में 1.771 हैक्टर भूमि का खातेदार कृषक है। वा इसी चक के खाता संख्या 39/50 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 में 0.08 अर्थात 0.101 हैक्टर व किला नम्बर 2 सालम के प्रतिवादी संख्या 2 व 3 खातेदार है अतः उक्त 1.771 हैक्टर भूमि पर काबिज होने से इस खाता के विभाजन में भी मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 ता 8 व 14 कुल 7.00 भूमि वादी को दिलाये जानें का निवेदन किया है।

तनकी नम्बर 2 को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था जो प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करनें में पर तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 12 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 3 में मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 ता 8 व 14 कुल 1. 771 हैक्टर भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादी हेतराम पुत्र सुल्तान जाति जाट (मृतक) के वारिसान वादी संख्या (1.1) कलावती पत्नी हेतराम (1.2) विजय कुमार, (1.3) वेदप्रकाश, (1.4) महेन्द्र कुमार (1.5) रणवीर कुमार को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 19-6-17 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुतलापुर की के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर